डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर

पंजी क्रमांक रायपुर डिवीजन

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 2 नवम्बर 2001—कार्तिक 11, शक 1923

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2001

क्रमांक एफ-2-14/2001/1-8/स्था.—श्री रामप्रकाश, भारतीय वन सेवा, स्थानापन्न विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग की पदोन्नति वन विभाग के आदेश क्रमांक एफ-1-48/वपसं/2001, दिनांक 2-8-2001 द्वारा मुख्य वन संरक्षक के पद पर किए जाने के फलस्वरूप, उन्हें कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, छत्तीसगढ़ मंत्रालय, वन विभाग पदस्थ किया जाता है तथा उन्हें पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग भी घोषित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण कुमार, मुख्य सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.

रायपुर, दिनांक 16 अक्टूबर 2001

क्रमांक 1119/2979/सा.प्र.वि./2001/2.—श्री गणेश शंकर मिश्रा, भा. प्र. से., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण, उप प्रशासक, राजधानी परियोजना, रायपुर को अपने वर्तमान कर्त्तव्य के साथ-साथ संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश का कार्य सौंपा जाता है.

रायपुर, दिनांक 16 अक्टूबर 2001

क्रमांक 1123/99 व्ही.आई.पी./सा. प्र. वि./2001/2.—राज्य शासन द्वारा श्री अजयपाल सिंह, भा. प्र. से. (1986), सचिव, मानव अधिकार आयोग को आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पर्यटन विभाग पदस्थ किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 16 अक्टूबर 2001

क्रमांक 1125/1832/सा. प्र. वि./2001/2.—श्री एम. के. राऊत, भा. प्र. से. (1984) सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक विकास आयुक्त घोषित किया जाता है. विकास आयुक्त का पद अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त तक, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन के समकक्ष होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इंदिरा मिश्रा, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2001

क्रमांक 1130/2947/सा. प्र. वि./2001/2.—श्री टी. एस. छतवाल, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, शिक्षा विभाग को दिनांक 25-9-2001 तथा 26-9-2001 (दो दिवस) तक का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री छतवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्यरत रहते.

रायपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2001

क्रमांक 1141/2898/सा. प्र. वि./01/2/लीव/आई.ए.एस.—श्री मनोहर पाण्डे, उप सचिव, खाद्य, महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग को दिनांक 22-10-2001 से 31-10-2001 (10 दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पाण्डे को उप-सचिव, खाद्य, महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग में पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में श्री पाण्डे को अवकाश वेतन व भत्ता उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पाण्डे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्यरत रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दुर्गेश मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2001

क्रमांक ए 520/784/2001/1-8/स्था.—श्री संजय शुक्ला, उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण आवास, पर्यावरण, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को दिनांक 22-10-2001 से 3-11-2001 तक 13 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 20 एवं 21 अक्टूबर 2001 एवं 4 नवम्बर 2001 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. श्री संजय शुक्ला, उप-सचिव के अवकाश की अवधि में उनका कार्य श्री के. सुब्रमनियम, संयुक्त सचिव, लोक निर्माण, आवास, पर्यावरण, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ संपादित किया जावेगा.

3. अवकाश से लौटने पर श्री संजय शुक्ला को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक उप-सचिव, लोक निर्माण, आवास, पर्यावरण, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

4. अवकाश काल में श्री संजय शुक्ला को अवकाश वेतन व भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

5. प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजय शुक्ला यदि अवकाश पर नहीं जाते तो, उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण आवास, पर्यावरण, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. रघुवंशी, अपर सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 अक्टूबर 2001

क्रमांक एफ-9-12/गृह/2001.—उद्योग विभाग के अधिकारियों के राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा जो दिनांक 21 अगस्त, 2001 को प्रश्न-पत्र "प्रक्रिया, विकास योजनाओं, राज्य के साधनों, राज्य की नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
	उच्च स्तर	
	रायपुर-संभाग	
1.	श्री अजीत सुन्दर बिलुंग	प्रबन्धक
2.	श्री आरिफ हुसैन यजदानी	प्रबन्धक/सहायक संचालक
3.	श्री कमल सिंह मीना	सहायक प्रबन्धक

रायपुर, दिनांक 12 अक्टूबर 2001

क्रमांक एफ-9-15/गृह/2001.—वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 22 अगस्त, 2001 को प्रश्न-पत्र "पुस्तपालन तथा कर निर्धारण" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
	उच्च स्तर	
	रायपुर-संभाग	
1.	श्री उदय शंकर	वाणिज्यिक कर अधिकारी

रायपुर, दिनांक 12 अक्टूबर 2001

क्रमांक एफ-9-16/गृह/2001.—वन विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 22 अगस्त, 2001 को प्रश्न-पत्र "वन विधि प्रश्न-पत्र-1" (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
	रायपुर-संभाग	
1.	श्री टी. बी. सिंह	वन क्षेत्रपाल
2.	श्री एस. एस. नाविक	वन क्षेत्रपाल
	बिलासपुर संभाग	
3.	श्री हेमचन्द पहारे	वन क्षेत्रपाल

रायपुर, दिनांक 12 अक्टूबर 2001

क्रमांक एफ-9-17/गृह/2001.—वन विभाग के वन क्षेत्रपालों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा जो दिनांक 22 अगस्त, 2001 को प्रश्न-पत्र "प्रक्रिया प्रश्न-पत्र-1" (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
	रायपुर-संभाग	
1.	श्री आनन्द कुदरया	वन क्षेत्रपाल
2.	श्री हिरेसिंह उइके	वन क्षेत्रपाल
3.	श्री एम. आर. साहू	वन क्षेत्रपाल
4.	श्री समीर जौनाथन	वन क्षेत्रपाल

(1)	(2)	(3)
	बस्तर-संभाग	
5.	श्री गोपाल सिंह मुवेल	वन क्षेत्रपाल
	बिलासपुर-संभाग	
6.	श्री हबीबुल्लाह खान	वन क्षेत्रपाल

रायपुर, दिनांक 12 अक्टूबर 2001

क्रमांक एफ-9-19/गृह/2001.—वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 22 अगस्त, 2001 को प्रश्न-पत्र कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
	उच्च स्तर	
	रायपुर-संभाग	
1.	श्री प्रेमसिंह विंध्यराज	वाणिज्यिक कर अधिकारी

रायपुर, दिनांक 12 अक्टूबर 2001

क्रमांक एफ-9-33/गृह/2001.—उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 23 अगस्त, 2001 को प्रश्न-पत्र "लेखा" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है.

अनु.क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
	उच्च स्तर	
	बिलासपुर-संभाग	
1.	श्री देवशरण सिंह ध्रुव	सहायक संचालक

(1)	(2)	(3)
	रायपुर-संभाग	
2.	श्री अजीत सुन्दरबिलुंग	प्रबन्धक
3.	श्री कमल सिंह मीना	सहायक संचालक

रायपुर, दिनांक 12 अक्टूबर 2001

क्रमांक एफ-9-40/गृह/2001.—जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 24 अगस्त, 2001 को प्रश्न-पत्र "छत्तीसगढ़ मूलभूत तथ्य एवं ग्रामीण विकास प्रश्न-पत्र द्वितीय" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
	उच्च स्तर	
	रायपुर-संभाग	
1.	श्री भगवती कुमार सिंह	सहायक जनसंपर्क अधिकारी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणु पिल्ले, संयुक्त सचिव.

लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2001

क्रमांक 4720/स/लोनिवि/2001.—मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, यथा :—

आदेश

1. (एक) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विधियों का अनुकूलन आदेश, 2001 है.

   (दो) यह नवम्बर, 2000 के प्रथम दिन से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त होगा.

2. इस आदेश की अनुसूची मे विनिर्दिष्ट, समय-समय पर यथा संशोधित ऐसी विधियों को छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के अव्यवहित पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थे, एतद्द्वारा अव तक विस्तारित तथा प्रवृत्त रहेंगे जब तक कि वे निरसित या संशोधित न कर दी जाए. उपांतरणों के अध्यधीन रहते हुए समस्त विधियों में शब्द "मध्यप्रदेश" जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर शब्द "छत्तीसगढ़" स्थापित किये जाएं.

3. अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों के द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कोई भी बात या की गई कोई कार्रवाई (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, नियम, प्रारूप, विनियमन, प्रमाण-पत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुए) छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त रहेगी.

अनुसूची

क्रमांक (1)	विधियों के नाम (2)
1.	भारतीय पथकर (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1932 (क्रमांक 8 वर्ष 1932).
2.	भारतीय पथकर (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1992 (क्रमांक 25 वर्ष 1994).

Raipur, the 11th October 2001

No.4720/S/PWD/2001.—In exercise of the powers conferred by Section 79 of the Madhya Pradesh Reorganization Act, 2000 (No. 28 of 2000) the State Government, hereby makes the following orders, namely :—

ORDER

1. (i) This order may be called the Adaptation of Laws Order 2001.

   (ii) It shall come into force in the whole State of Chhattisgarh on the 1st day of November, 2000.

2. The laws as amended from time to time specified in the schedule to this order, which were in force in the State of Madhya Pradesh imediately before the formation of the State of Chhattisgarh, are hereby extended to and shall be in forced in the State of Chhattisgarh until repealed or amended, subject to the modification that in all the laws for the words "Madhya Pradesh" wherever the occur the word "Chhattisgarh" shall be substituted.

3. Anything done or any action taken (including any appointment, notification, notice, order, rule, form, regulation, certificate or license) in exercise of the powers conferred by or under the laws specified in the schedule shall continue to be in force in the State of Chhattisgarh.

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of the laws (2)
1.	The Indian Tolls (Madhya Pradesh amendment) Act, 1932 (No. 8 of 1932).
2.	The Indian Tolls (Madhya Pradesh amendment) Act, 1992 (No. 25 of 1994).

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढॉड, सचिव.

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2001

क्रमांक 3460/4283/2001/न.प्र.—विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक-एफ 3-1/2001/न. प्र. दिनांक 15-6-2001 जो कि नगरपालिक अधिनियम, 1956 की धारा 19 (2) के अधीन नगरपालिका परिषदों में "एल्डरमेन" की नियुक्ति से संबंधित है, में आंशिक संशोधन करते हुए अनुक्रमांक 14 (3) में नगरपालिका परिषद् मुंगेली के लिये नियुक्त "एल्डरमेन" श्री अनिल माखीजा के स्थान पर "श्री अनिल नारवानी" एतद्द्वारा स्थापित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. सिन्हा, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 25 सितम्बर 2001

क्रमांक क/1686/भू-अर्जन/1/अ-82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) संशोधित भूमि अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा	धमनागुड़ी	37.37	कार्यपालन यंत्री, सिंचाई संभाग, कोरबा.	केरहा नाला जलाशय योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 10 अक्टूबर 2001

क्रमांक 1765/भू-अर्जन/2/अ-82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) संशोधित भूमि अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा	कुकरीचोली	2.140	कार्यपालन यंत्री, सिंचाई संभाग, कोरबा.	सलिहाभाठा जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 10 अक्टूबर 2001

क्रमांक 13905/भू-अर्जन/2/अ-82/99-2000/2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) संशोधित भूमि अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पाली	नेवसा	1.75	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	हरदी नेवसा जलाशय नहर.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 10 अक्टूबर 2001

क्रमांक 13906/भू-अर्जन/5/अ-82/97-98/2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भूमि अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	जडगा घुमानीडांड करगामार पचरा.	16.58	अ. वि. अ., लो. नि. वि., कटघोरा क्र. 2.	सड़क निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 10 अक्टूबर 2001

क्रमांक 13907/भू-अर्जन/2/अ-82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भूमि अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पाली	बम्हनीकोना	4.46	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	बम्हनीकोना जलाशय के शीर्ष कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 10 अक्टूबर 2001

क्रमांक 13908/भू-अर्जन/6/अ-82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) संशोधित भूमि अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	लोतलोता	28.804	अतिरिक्त अधीक्षण यंत्री, (सि) सुधार, छ. रा. वि. मं. कोरबा पश्चिम.	राखड़ बांध निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजकमल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दन्तेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दन्तेवाड़ा, दिनांक 4 अक्टूबर 2001

क्रमांक 5312 /02/अ-82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दंतेवाड़ा	कोंटा	सुकमा	0.703	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण संभाग), जगदलपुर.	शंखनी नदी हेतु सेतु हेतु पहुंच मार्ग निर्माण.

दन्तेवाड़ा, दिनांक 4 अक्टूबर 2001

क्रमांक 5314 /01/अ-82/भू-अर्जन/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दंतेवाड़ा	कोंटा	झापरा	0.499	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, जगदलपुर.	शबरी नदी सेतु हेतु पहुंच मार्ग निर्माण.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. पैकरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 19 अक्टूबर 2001

क्रमांक 1080/अ/82.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-दुर्ग
(ख) तहसील-डौंडीलोहारा
(ग) नगर/ग्राम-कोचेरा, प. ह. नं. 21
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.47 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
320/1	0.06
319	0.02
318	0.54
317	0.03
316	0.04
326	0.04
325	0.74
327	0.42
328	0.50
329	0.30
417	0.01
414	0.60
416	0.25
415/1	0.36
439	0.01
440	0.62
441	0.22
445	0.15
443	0.04
444	0.50
442/1	0.02
योग	5.47

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-खरखरा मोंहदीपाट नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी डौंडीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 19 अक्टूबर 2001

क्रमांक 1080/अ/82.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-दुर्ग
(ख) तहसील-डौंडीलोहारा
(ग) नगर/ग्राम-दुबचेरा, प. ह. नं. 21
(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.35 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
57	0.24
58/2	0.10
59	0.22
60/1	0.30
54	0.02
50	0.11
52	0.30
64	0.01

(1)	(2)
65	0.16
53	0.28
66	0.25
67	0.01
69	0.19
70	0.24
71	0.01
94/1	0.34
95/2	0.01
77/1	0.30
326/2	0.33
77/2	0.01
78	0.19
340/2	0.16
79/1	0.22
80/2	0.24
82	0.40
83	0.40
85	0.01
174	0.29
175	0.21
176	0.41
173	0.30
171	0.18
170	0.20
327/1	0.27
326/1	0.23
325/2	0.09
324/1	0.35
323	0.13
340/1	0.22
338	0.35
339	0.01
317/4	0.06
योग	8.35

(2) सार्वजनिक प्रयोजन्न ज़िसके लिये आवश्यकता है-खरखरा मोंहदीपाट नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी डौंडीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 19 अक्टूबर 2001

क्रमांक 1080/अ/82.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-डौंडीलोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-पापरा, प. ह. नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-9.80 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
357	0.62
349	0.61
350	0.18
346	0.03
391	0.50
392	0.43
385	0.32
403	0.10
384	0.44
382	0.10
383	0.40
539	1.49
624	0.55
630	0.11
617	0.35
618	0.13
616	0.42
622	0.04
623	0.02
614	0.19
613	0.30
615	0.01
610	0.25

	(1)	(2)
	608	0.35
	609	0.38
	606	0.01
	605	0.42
	601	0.44
	602	0.13
	378	0.08
योग		9.80

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-खरखरा मोंहदीपाट नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी डौंडीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. सी. पी. केशरी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.